



जेपीआर 5-753

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302008
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803
Email - secommel@jvvn.in

क0 जेपीडी/अ.अ.(वा.)/सी-1/एफ.4(236)पार्ट-11/प्रे0 2291 जयपुर, दिनांक-
30/03/2015

आदेश

विषय - ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत।

राज्य सरकार ने दिनांक 28.02.2015 से 02.03.2015 तक व 12.03.2015 से 15.03.2015 को हुई ओलावृष्टि से रबी फसलों को नुकसान होने पर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु दिनांक 18.03.2015 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबंधमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (1) लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जिनकी बोये गये क्षेत्र की फसल 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह, दिसम्बर 2014, जनवरी 2015, फरवरी 2015 एवं मार्च 2015 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।
- (2) जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।
- (3) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएगी।

अलवर व बारां जिले के वे लघु एवं सीमान्त कृषक जो दिनांक 25.02.2015 को जारी राहत पैकेज (जेपीआर 5-751) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से कम फसल खराब होने के कारण राहत के हकदार नहीं थे एवं पूर्व में जिन्हें सहायता नहीं मिली है, परन्तु बाद में 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हो गया है तथा अब दिनांक 18.03.2015 को

जारी राहत पैकेज में राहत के हकदार हैं, उनके भी चार बिलिंग माह दिसम्बर 2014, जनवरी 2015, फरवरी 2015 एवं मार्च 2015 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (नियंत्रण), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (नियंत्रण) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से



(ए.के. सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)